<u>लोकसभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *286

09 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात विनिर्माण कंपनियां

***286. श्री राजेश वर्माः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस्पात विनिर्माण में शामिल सरकारी/निजी कंपनियों का राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कारोबार, लाभ/हानि, व्यय, जनशक्ति, संपरीक्षा रिपोर्टों इत्यादि के संबंध में विगत पांच वर्षों के दौरान निजी/सरकारी-स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों का आउटकम/तुलनात्मक अध्ययन चार्ट क्या है;

(ग) उक्त कंपनियों के तुलनात्मक प्रबंधन तथा वित्तीय कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या निजी-स्वामित्व वाली कंपनियां अत्यधिक लाभ अर्जित कर रही हैं और सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को हानि हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या प्रमुखतः सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों से ही इस्पात अथवा इस्पात-निर्मित उत्पाद खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र के खरीददारों को कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“इस्पात विनिर्माण कंपनियां” के बारे में श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को उत्तर देने के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *286 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): इस्पात के विनिर्माण में संलग्न सरकार द्वारा संचालित/निजी कंपनियों का राज्य/जिला-वार विवरण **अनुलग्नक I** में है।

(ख) से (घ): कारोबार, व्यय, लाभ, श्रमशक्ति एवं लेखापरीक्षा रिपोर्टों के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों (सीपीएसई) के पिछले पाँच वर्षों का विवरण **अनुलग्नक II** में है। निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के संबंध में यह बताया गया है कि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस संबंध में सरकार द्वारा आंकड़ों/सूचनाओं का रख-रखाव नहीं किया जाता है। सरकार की भूमिका एक ऐसे सुविधाप्रदाता की है जो इस्पात क्षेत्र की दक्षता तथा निष्पादन में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के प्रयोजन से व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करता है। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को प्रचालनात्मक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अलग-अलग कंपनियों द्वारा समय-समय पर वाणिज्यिक परिस्थितियों तथा बाजार के समीकरणों के आधार पर प्रबंधकीय तथा वित्तीय रणनीतियाँ बनाई जाती हैं।

(ङ): घरेलू विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद खरीद नीति (डीएमआई एंड एसपी) में सरकारी खरीद में सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्र के स्वदेशी इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

****

अनुलग्नक I

(लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. *286 दिनांक 09.12.2019)

राज्य	जिला	इकाइयाँ
आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर	12
	चित्तूर	3
	पूर्वी गोदावरी	1
	कृष्णा	3
	नेल्लोर	3
	विशाखापत्तनम	2
	विजयनगरम	2
	पश्चिमी गोदावरी	1
	कुल	**27**
अरुणाचल प्रदेश	पापुम पारे	3
असम	डिब्रूगढ़	1
	कामरूप	6
	कारबी आंग्लोंग	1
	कुल	**8**
बिहार	बेगूसराय	1
	लखीसराय	1
	मुजफ्फरपुर	1
	पटना	16
	पूर्णिया	1
	कुल	**20**
छत्तीसगढ	बिलासपुर	1
	दुर्ग	6
	रायगढ़	14
	रायपुर	55
	राजनंदगांव	1
	कुल	**77**
दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	20
दमन और दीव	दमन और दीव	3
दिल्ली	उत्तर-पश्चिम दिल्ली	2
गोवा	उत्तर गोवा	6
	दक्षिण गोवा	6
	कुल	**12**
गुजरात	अहमदाबाद	1 1
	आनन्द	2
	भरुच	1
	भावनगर	14
	गांधीनगर	2
	कच्छ	8

	मेहसाणा	8
	पंचमहल	6
	राजकोट	9
	सूरत	1
	सुरेंद्रनगर	1
	वडोदरा	1
	वलसाड	2
	कुल	**66**
हरियाणा	फरीदाबाद	6
	हिसार	2
	पंचकुला	1
	यमुनानगर	1
	कुल	**10**
हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	1
	सिरमौर	1 1
	सोलन	9
	कुल	**21**
जम्मू और कश्मीर	सांबा	8
झारखंड	बोकारो	4
	धनबाद	1
	पूर्वी सिंहभूम	14
	गिरिडीह	12
	हजारीबाग	1
	जामताड़ा	3
	कोडरमा	4
	रामगढ़	6
	रांची	5
	सरायकेला	15
	कुल	**65**
कर्नाटक	बंगलुरू	4
	बंगलुरू ग्रामीण	1
	बेलगाम	7
	बेल्लारी	6
	चिकबल्लापुर	1
	चित्रदुर्ग	1
	दक्षिण कन्नडा	1
	धारवाड	2
	कोलार	1
	कोप्पल	2
	मैसूर	2
	शिमोगा	2

	तुमकुर	1
	कुल	**31**
केरल	अलपुझा	1
	एर्नाकुलम	3
	कासरगोड	1
	कोल्लम	1
	कोझिकोड	5
	पालक्काड	23
	त्रिशूर	1
	कुल	**35**
मध्य प्रदेश	भोपाल	1
	धार	6
	मंदसौर	1
	रायसेन	1
	सतना	2
	कुल	**1 1**
महाराष्ट्र	अहमदनगर	1
	औरंगाबाद	1
	भंडारा	1
	चंद्रपुर	1
	जालना	10
	कोल्हापुर	5
	नागपुर	5
	नासिक	5
	पालघर	5
	पुणे	5
	रायगढ़	3
	सांगली	5
	सोलापुर	1
	ठाणे	6
	वर्धा	2
	कुल	**56**
मेघालय	री भोई	7
ओडिशा	अंगुल	1
	कटक	2
	ढेंकनाल	5
	जाजपुर	6
	झारसुगुडा	3
	केंदुझार	8
	खोरधा	1
	संबलपुर	5

	सुंदरगढ़	32
	कुल	**63**
पुदुचेरी	कराईकल	3
	पुदुचेरी	7
	कुल	**10**
पंजाब	बठिंडा	1
	फतेहगढ़ साहिब	58
	होशियारपुर	1
	जालंधर	2
	लुधियाना	48
	पटियाला	2
	रूपनगर	1
	संगरूर	2
	सास नगर	2
	कुल	**117**
राजस्थान	अजमेर	1
	अलवर	16
	भीलवाड़ा	3
	जयपुर	16
	जालौर	1
	कोटा	1
	नागौर	1
	सीकर	2
	कुल	**41**
तमिलनाडु	चेन्नई	3
	कोयंबटूर	50
	धर्मपुरी	1
	डिंडीगुल	4
	इरोड	2
	कांचीपुरम	3
	कृष्णागिरी	5
	मदुरै	1
	नमक्कल	2
	सेलम	9
	थुथुकुडी	1
	तिरुचिरापल्ली	2
	तिरुवल्लुर	16
	वेल्लोर	3
	कुल	**102**
	हैदराबाद	3
	मेडक	8

तेलंगाना	महबूब नगर	12
	रंगारेड्डी	3
	संगारेड्डी	1
	कुल	**27**
त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	4
	बिजनौर	1
	बुलंदशहर	1
	एटाह	1
	फतेहपुर	3
	फिरोजाबाद	1
	गौतम बुद्ध नगर	1
	गाज़ियाबाद	12
	गोरखपुर	2
	हमीरपुर	1
	जौनपुर	1
	झांसी	2
	कानपुर देहात	1
	कानपुर नगर	1
	लखनऊ	1
	मुजफ्फरनगर	12
	रायबरेली	1
	कुल	**46**
उत्तराखंड	हरिद्वार	13
	पौरी गाढ़वाल	15
	उधम सिंह नगर	9
	कुल	**37**
पश्चिम बंगाल	बांकुड़ा	7
	बर्धमान	29
	हुगली	2
	हावड़ा	1
	कोलकाता	1
	उत्तर 24 परगना	2
	पुरुलिया	4
	दक्षिण 24 परगना	3
	पश्चिम मेदिनीपुर	2
	कुल	**51**
सकल		**977**

****

अनुलग्नक II

(लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. *286 दिनांक 09.12.2019)

इस्पात पीएसयू के संबंध में विगत पाँच वर्षों का कुल कारोबार, व्यय, लाभ, श्रमशक्ति एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी विवरण

वर्ष	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)				राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)				नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)			
	करोड़ रुपये में			श्रमशक्ति	करोड़ रुपये में			श्रमशक्ति	करोड़ रुपये में			श्रमशक्ति
	कुल कारोबार	व्यय	कर पश्चात् लाभ/हानि		कुल कारोबार	व्यय	कर पश्चात् लाभ/हानि		कुल कारोबार	व्यय	कर पश्चात् लाभ/हानि	
2014-15	50627	44284	2093	93352	11674.66	9467.30	62.38	18137	1319.52	1207.68	-232.67	1533
2015-16	43294	51477	-4021	88655	12270.58	10754.41	-1420.64	17873	1195.19	1085.46	-334.52	1548
2016-17	49180	54937	-2833	82964	12706.31	14369.53	-1263.16	17838	1288.05	1189.76	-355.77	1545
2017-18	58297	60232	-482	76870	16618.40	16783.87	-1369.01	17617	955.14	927.90	-375.44	1537
2018-19	66267	63773	2179	72339	20844.38	21145.60	96.71	17574	2025.31	2008.63	-403.82	1542
लेखा परीक्षा रिपोर्ट : सेल की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कुछ टिप्पणियाँ की गई थी, जिनका समुचित उत्तर दे दिया गया था। तथापि, वित्त वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए सीएंडएजी की कोई टिप्पणी नहीं है।				**लेखा परीक्षा रिपोर्ट**: सीएंडएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सभी संबंधित वर्षों के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।				**लेखा परीक्षा रिपोर्ट**: सीएंडएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार सभी संबंधित वर्षों के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।			

***